घुसपैठियों पर एक्शन में योगी सरकार

17 नगर डिटेंशन सेंटर बनाने सरकार ने दिए निर्देश

23.69 लाख डुप्लीकेट नाम वोटर लिस्ट में

लखनऊ, 11 दिसंबर. उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामलों ने प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे से पहले महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जोनल अधिकारियों को घुसपैठियों की 100त्न सटीक जांच के सख्त निर्देश दिए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कई फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र भी सामने आए हैं। सरकार ने 17 नगर डिटेंशन सेंटर बनाने और लगभग 3 करोड़ कथित घुसपैठियों का डाटा बेस तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं, वोटर लिस्ट में 23.69 लाख डुप्लीकेट नाम और 2.92 लाख संभावित कटौती वाले नाम मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त ने घुसपैठियों की जांच के लिए त्वरित समिति बनाई है। समिति को संदिग्ध प्रमाण-पत्र जांच कर दोषियों की पहचान और तुरंत निरस्तीकरण का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार 17 नगर डिटेंशन सेंटर बनाएगी और करीब 3 करोड़ कथित घुसपैठियों का डाटा बेस तैयार करेगी। इन सभी को ब्लैकलिस्ट करने का विचार है। एसआईआर की तारीखें बढ़ाई गई हैं और सीईओ ने 14 दिन का रिमांड लिया है।

घुसपैठियों की जांच के लिए जोनल अधिकारियों को सख्त निर्देश

वाराणसी में प्रशासनिक हलचल तेज है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को काशी दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन से पहले स्मार्ट सिटी सभागार में हुई समीक्षा बैठक में महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जोनल अधिकारियों को घुसपैठियों की 100त्न सटीक जांच के कड़े निर्देश दिए। महापौर ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर की ढिलाई पर कार्रवाई होगी।

राजस्थानी दिवस में बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर सत्र

राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे : केन्द्रीय विद्युत मंत्री

जयपुर, 11 दिसंबर। केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहरलाल ने आशा व्यक्त की है कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार का जल्द ही विधिक समाधान निकलेगा।

उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-तृतीय को केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है। केन्द्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के अन्तर्गत 115 गीगावाट का तंत्र राजस्थान में बनाया जा रहा है। प्रसारण तंत्र का यह विस्तार इस बात का संकेत है कि देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही गुजरेगा। मनोहरलाल को जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान न केवल देश के, बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है।

> मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए पीएम कुसुम जैसी अनुपम योजना चलाई है। इसमें राजस्थान पूरे देश के लिए मार्गदर्शक राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पीएम-कुसुम (कम्पोनेंट ए और सी) के अंतर्गत 10,533 मेगावाट क्षमता की 5,002 सौर परियोजनाओं के लिए कार्यादेश किए हैं और 2,272 मेगावाट की 1,019 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। कम्पोनेंट-ए में तो हमारा राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।

अमेरिका ने पारित किया युद्ध बजट

901 अरब डॉलर आवंटन, प्रस्ताव से 8 अरब अधिक मंजूर

वॉशिंगटन, 11 दिसंबर. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार शाम वित्त वर्ष 2026 के लिये युद्ध विभाग को 901 अरब डॉलर की भारी-भरकम रकम आवंटित करने संबंधी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण विधेयक को पारित किया।

यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध से आठ अरब डॉलर ज़्यादा है। यह 3,000 से ज़्यादा पन्नों वाला विधेयक 112 के मुकाबले 312 वोटों से पास हुआ है। अब इसे मंज़ूरी के लिए सीनेट में भेजा जा रहा है। आखिरी वोटिंग में 18 रिपब्लिकन और 94 डेमोक्रेट्स ने नकारात्मक वोट दिया। वोटिंग से पहले सभा अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप के 15 कार्यकारी आदेशों को संहिताबद्ध करना, पेंटागन में सामाजिक और नस्लीय अन्याय को खत्म करना, अमेरिकी सीमा को सुरक्षित करना, रक्षा उद्योग आधार को फिर से मजबूत करना और योद्धाओं की भावना को बहाल करना है।

ट्रंप की पेट्रो को सख्त चेतावनी जारी

वाशिंगटन, 11 दिसंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को चेतावनी दी है कि यदि वह देश में मादक पदार्थों की स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, अगर वह (पेट्रो) समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो उनको भारी मुसीबत का सामना करन पड़ सकता है। कोलंबिया बहुत अधिक ड्रग्स का निर्माण कर रहा है।

बहराइच हिंसा : सरफराज को फांसी, 9 को आजीवन सजा

बहराइच, 11 दिसंबर। रामगोपाल हत्याकांड में आज अदालत ने दोषियों को सख्त सजा सुनाई। मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई, जबकि आठ दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी सैफ अली को आठ वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।

साथ ही सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 13 अक्तूबर 2024 की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है, जब रामगोपाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत में फैसले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही कचहरी परिसर में भारी भीड़ जुटी थी। मृतक परिवार, स्थानीय लोग और वकील लगातार अदालत की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। परिवार की आंखों में न्याय की उम्मीद और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। रामगोपाल की मां मुन्नी देवी और पत्नी रोली मिश्रा अपने प्रियजन के न्याय की प्रतीक्षा में भावुक हो गईं। पिता कैलाश नाथ मिश्र की तबीयत हत्या के बाद से खराब चल रही है। बड़े बेटे हरमिलन ही परिवार का सहारा बने हैं। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

जयपुर, 11 दिसंबर. राजस्थान उच्च न्यायालय को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धमकी का ई-मेल मिलने के बाद पूरे उच्च न्यायालय परिसर को खाली कराया गया.

नीतीश ने केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा का दिया निर्देश

पटना, 11 दिसंबर. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को अधिकारियों को पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा बनाये रखने का निर्देश देते हुये वहां निर्माणाधीन टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में निर्माणाधीन टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां निर्माण कराए जा रहे ऑडिटोरियम, पर्यटकीय सुविधा के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि केसरिया बौद्ध स्तूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर के निर्माण से पर्यटकों को सहूलियत होगी

प्रणब दा को दी श्रद्धांजलि

देश के लोकतांत्रिक मूल्य याद दिलाते रहेंगे

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी को भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने अनुभव, संतुलन और जनसेवा की भावना से लोकतंत्र को हमेशा मजबूत किया। उनकी जयंती पर आज देशभर में श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है।

इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सम्मानजनक और भावनात्मक पोस्ट साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा—पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी जी की जयंती पर शत् -शत् नमन। उनका विज़न, विनम्रता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। डॉ. प्रणब मुखर्जी न केवल राजनीति में अनुभवी थे, बल्कि वे संवाद, विचार-विमर्श और संवैधानिक दायित्वों के सर्वोत्तम उदाहरण भी थे।

ईडी ने पीके एंटरप्राइजेज पर लगाया आरोप

26.72 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज

कोलकाता, 11 दिसंबर. प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पीके एंटरप्राइजेज के मालिक प्रसेनजीत दास और पांच अन्य लोगों के खिलाफ शहर की एक विशेष अदालत में धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया है।

यह मामला उनके दिवंगत पिता, के.पी.एस. एंटरप्राइज के मालिक पूर्णेंदु दास से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है। इस सप्ताह दायर किए गए आरोपपत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि प्रसेनजीत दास, चंदन सरकार, ललतू साहा और तीन अन्य लोगों ने दिवंगत पूर्णेंदु दास के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाले निर्यात लेनदेन और बंगलादेश को प्याज निर्यात करने के लिए आवंटित बैंक ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग कर एक राष्ट्रीयकृत बैंक को धोखा देने की साजिश रची। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की। सीबीआई को जांच में पता चला कि दिवंगत पूर्णेंदु दास ने अपनी स्वामित्व वाली कंपनी के.पी.एस. एंटरप्राइज के माध्यम से तत्कालीन इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से बंगलादेश को प्याज निर्यात करने के लिए आठ करोड़ रुपये की पैकिंग क्रेडिट सुविधा और 25 करोड़ रुपये की विदेशी बिल नेगोशिएशन सुविधा का लाभ उठाया।

जांच में पता चला कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत निर्यात दस्तावेज और बिल जाली थे, जिसके कारण जाली निर्यात बिल जमा करने से बैंक को 26.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सरकारी कंपनी में सालों से रुका वेतन

- बिबकॉल कर्मचारियों को नहीं वेतन : राहुल गांधी
- पोलियो वैक्सीन निर्माता कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ीं

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का दमन और उनका निजीकरण सरकार की सबसे बड़ी दुर्नीति है और मौजूदा सरकार का यह कदम देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। श्री गांधी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उनकी हाल ही हुई जन संसद में भारत म्यूनोलॉजिकल्स तथा जैविकीय निगम लिमिटेड (बिबकॉल) के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात हुई। इन कर्मचारियों ने अपनी स्थिति को लेकर जो बातें कहीं है वह बहुत हैरान करने वाली है और जो भी इसे सुनेगा हैरान हो जाएगा। उन्होंने लिखा इस सरकारी कंपनी के कर्मचारी सालों से वेतनहीन हैं। अपने घर का खर्च चलाने के लिए कर्ज़, उधार और मजबूरी पर उनका जीवन टिका हुआ है।

नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय)
संधारण खंड क्रमांक-2, नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर
E-mail: ee2_narmada@rediffmail.com, Ph.: 0731-2712846

निविदा सूचना क्रमांक: 42/2025-26/नर्मदा.परि/न.पा.नि. — **ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना** — इन्दौर, दिनांक: 09.12.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD
01 प्रथम आमंत्रण	2025_UAD_467215_1	जोन क्रमांक-01 वार्ड क्रमांक-16 क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नं. 155 टंकी क्षेत्र अंतर्गत नन्दबाग मेन रोड पुल निर्माण कार्य के दौरान 400 एम.एम. व्यास की डी.आई. पाईप लाइन शिफ्ट कर एवं इन्टरकनेक्शन कराने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्यूल अनुसार)	1) 03 माह 2) ₹14,45,813/-	1) ₹28,916/- 2) ₹2,000/-
02 सप्तम आमंत्रण	2025_UAD_467215_2	जोन क्रमांक-16 वार्ड क्रमांक-14 अंबिकापुरी टंकी मे स्थापित 600 एम.एम. व्यास सीपेज डी.आई. आउटलेट वाल्व के स्थान पर नवीन वाल्व प्रदाय करने व अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्ण करना। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्यूल अनुसार)	1) 01 माह 2) ₹3,69,151/-	1) ₹7,383/- 2) ₹2,000/-

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम दिनांक	24.12.2025, 17:30 बजे तक
2.	निविदा ऑनलाइन खोलने की दिनांक (ENVELOPE A/B)	26.12.2025

नोट: निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय) नगर पालिक निगम, इन्दौर

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
Regional Office : 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore-452001 (M.P.)
Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, CIN : U51102MP1977SGC001392
No. MPIDC/RO/IND/TECH/25/15817 Date : 10.12.2025

NOTICE INVITING TENDER

Online tenders are invited on behalf of the Executive Director, MPIDC RO Indore, from registered contractors in any State/Central Government/any Government undertaking or reputed firms for the following work. The Tenders would be made available on the e-portal **https://www.mptenders.gov.in.**

Name of Work	Probable Amount of Contract (in Lakh)	EMD (in Rs.)	Cost of Tender Form (in Rs.)	Last Date of Submission of Tender
Misc. Electrical works at various Industrial area including SEZ of MPIDC, RO Indore for a period of 1 Year	435.00	435000/-	17700/-	09.01.2025
New 11KV dedicated feeder at I/A Meghnagar, Jhabua and Shifting/ Extension of various 11KV lines in I/A Meghnara, Hatod & Pithampur	172.00	172000/-	14750/-	09.01.2025

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.
M.P. Madhyam/123470/2025 **EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)**

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।
ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्री गंगाराम पुत्र ओंकार सिंह (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 336, पशु चिकित्सालय सोसायटी भवन, ग्राम सुमराखेड़ा, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665 2. श्रीमती राजकुंवर बाई पत्नी श्री गंगाराम (सह-उधारकर्ता) 336, पशु चिकित्सालय सोसायटी भवन, ग्राम सुमराखेड़ा, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665 — एनपीए दिनांक : 03.11.2025	संपत्ति पर समतुल्य बंधकः आवासीय संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 69.64 वर्ग मीटर है, सर्वेक्षण संख्या 51/1/1, मकान संख्या 44, ग्राम सुमरखेड़ा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665 में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण संख्या MP43192022A1789658, दिनांक 27-07-2022 के तहत पंजीकृत। श्री गंगाराम पुत्र ओंकार सिंह के नाम पर। सीमाएँ: पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः तराना-उज्जैन रोड, उत्तरः श्रीमती सोना बाई पत्नी नत्थू सिंह का भूखंड, दक्षिणः श्रीमती सीमा बाई पत्नी श्री ओंकार जी का भूखंड।
ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि	ऋण खाता संख्या 103041546951, मांग सूचना दिनांकः 11-12-2025, बकाया राशिः रू. 11,00,000/- (ग्यारह लाख मात्र) 10-12-2025 तक।
1. श्री जीवन सोलंकी पुत्र नंदा जी (उधारकर्ता) पी.एच. क्रमांक 105, मकान क्रमांक 75, खसरा क्रमांक 247/1, वार्ड क्रमांक 11, नई आबादी, ग्राम महू, तहसील नागदा, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221, 2. श्रीमती तेजू बाई पत्नी नंदा जी (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) पी.एच. क्रमांक 105, मकान क्रमांक 75, खसरा क्रमांक 247/1, वार्ड क्रमांक 11, नई आबादी, ग्राम महू, तहसील नागदा, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221 — एनपीए दिनांक : 03.10.2025	संपत्ति पर समतुल्य बंधकः आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 1170 वर्ग फुट (108.69 वर्ग मीटर) है, मकान संख्या 75, सर्वेक्षण संख्या 247/1, पोस्ट हल्का संख्या 105, ग्राम महू, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221 में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण संख्या MP432022024A11142129, दिनांक 17/09/2024 के तहत श्रीमती तेजू बाई पत्नी नंदा जी के नाम पर पंजीकृत है। सीमाएँ: पूर्वः दशरथ का मकान, पश्चिमः स्वयं की खाली भूमि, उत्तरः सड़क, दक्षिणः स्थानीय सड़क
ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि	ऋण खाता संख्या 103041547020, मांग सूचना की तिथिः 11-12-2025, बकाया राशिः रू. 5,46,000/- (पांच लाख छियालीस हजार मात्र) 10-12-2025 तक
1. श्री शरीफ खान पुत्र गनी मोहम्मद (उधारकर्ता) 789 के, लादुना एम.नं. 722 से अंत तक, ग्राम-लादुना, तह. सीतामऊ, जिला-मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389, 2. श्रीमती रूबीना बी पत्नि शरीफ खान (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 789 के, लादुना एम.नं. 722 से अंत तक, ग्राम-लादुना, तह. सीतामऊ, जिला-मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458389 — एनपीए दिनांक : 03.10.2025	संपत्ति पर समतुल्य बंधकः आवासीय भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट (111.52 वर्ग मीटर) है, जो मकान संख्या 39/24, सर्वेक्षण संख्या 1506/1/1/8/1 का भाग, ग्राम लौदना, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में ई-पंजीकरण संख्या MP249412023A11832879 दिनांक 12-05-2023 के तहत श्रीमती रुबीना बी पत्नी शरीफ खान के नाम पर पंजीकृत है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कच्चा सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः आतिक खान पुत्र गनी मोहम्मद की भूमि, उत्तरः विक्रेता की स्वयं की भूमि और सुल्ताना बी का भूखंड, दक्षिणः सेहरुनिशा पत्नी अमानुल्लाह का भूखंड।
ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि	ऋण खाता संख्या 103041547095, मांग सूचना दिनांकः 10-12-2025, बकाया राशिः रू. 5,40,000/- (पांच लाख चालीस हजार मात्र) 09-12-2025 तक।

दिनांकः 11.12.2025 और 10-12-2025, स्थानः नोएडा — अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

प्र.क्र.0038 अपील वर्ष 2025-26
मौजा कांटावाड़ी तहसील शाहपुर जिला बैतूल म.प्र.

1. पुष्पा राठौर पत्नी स्व. राजू राठौर
2. नवीन राठौर पिता स्व. राजू राठौर
3. निनित राठौर
सभी निवासी भौरा तहसील शाहपुर जिला बैतूल म.प्र. ...आवेदक / अपीलार्थी

विरूद्ध

1. लक्ष्मीबाई राठौर पति रमेश राठौर
2. अशोक राठौर पिता रमेश राठौर
3. संजय राठौर पिता रमेश राठौर
सभी निवासी भौरा तहसील शाहपुर जिला बैतूल म.प्र.
4. माया राठौर पुत्री शिवप्रसाद राठौर निवासी, खातेगांव तहसील खातेगांव जिला देवास म.प्र. ...अनावेदक / गैरअपीलार्थी

पक्षकारों की उपस्थिति हेतु सूचना

इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अपील प्रकरण में गैरअपीलार्थी क्रमांक 4 माया राठौर पुत्री शिवप्रसाद राठौर निवासी खातेगांव तहसील खातेगांव जिला देवास म.प्र. की उपस्थिति के लिए आगामी सुनवाई तिथि 18.12.2025 नियत की गई हैं. अतएव गैरअपीलार्थी नियत पेशी तारीख 18.12.2025 को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित रहकर अपना पक्ष समर्थन करना सुनिश्चित करें. नियत तिथि पर उक्त उत्तरवादी के उपस्थित न होने की दशा में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 04/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

अपर कलेक्टर बैतूल

ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्या.: प्लॉट नं. 94, मारोल सहकारी औद्योगिक एस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400059, दूरभाषः +91 22 2859 5093/6707 0100
फैक्सः +91 22 2852 8549 ईमेलः info@orixindia.com | www.orixindia.com
सीआईएनः U74900MH2006PLC163937

कब्जा सूचना
[नियम 8(1) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ, 23.09.2025 को अशोक सोनी, सुनील सोनी, ललिता देवी सोनी, बबीता सोनी और संतोष सोनी को उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार के रूप में नोटिस जारी कर, नोटिस में उल्लिखित राशि 24,81,335.92/- रुपये (चौबीस लाख इक्यासी हजार तीन सौ पैंतीस और बानवे पैसे मात्र) का भुगतान नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली की तारीख तक के ब्याज और अन्य शुल्कों सहित करने का आह्वान किया है।

1. उक्त नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उधारकताओं और सह-उधारकताओं ने नोटिस की पूरी राशि, ब्याज और अन्य शुल्कों सहित, चुकाने में विफल रहे हैं।
2. उपरोक्त के मद्देनजर, उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 10.12.2025 को वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।
3. उधारकताओं और सह-उधारकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा 15.09.2025 तक INR 24,81,335.92/- (केवल चौबीस लाख इक्यासी हजार तीन सौ पैंतीस और बानवे पैसे) के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क भी लागू होंगे।

संपत्ति का विवरण

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के धन गली स्थित नगरपालिका मकान संख्या 5 में स्थित पंचरत्न बाजार, पैकी में स्थित आवासीय मकान/फ्लैट संख्या जी-1 (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट है) का भूतल और फ्लैट संख्या एलजी-1 (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 80 वर्ग फुट है) का तहखाना (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 180 वर्ग फुट है) का पूरा भूखंड। उक्त संपत्ति की सीमाएँ दक्षिण में श्री अग्रवाल का मकान, उत्तर में साझा मार्ग, पूर्व में श्री अग्रवाल का मकान और पश्चिम में सरकारी सड़क से लगती हैं।

दिनांकः 10.12.2025
स्थानः इंदौर, मध्य प्रदेश
ऋण खाता संख्याः LN0000000014848
भवदीय, अधिकृत अधिकारी
ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

NORTHERN ARC — पंजीकृत कार्यालयः 10वीं मंजिल, चरण-क, आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क, कनागम गांव, तारामणि, चेन्नई - 600113, तमिलनाडु।

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

चूंकि आप, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता, जिनका उल्लेख नीचे दी गई तालिका के पैरा संख्या 1 में किया गया है, ने अपनी अचल संपत्ति को गिरवी रखकर **नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वगीकृत किया गया है और चूँकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, SARFAESI अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस जारी किया है जिसमें 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड को आपके द्वारा देय और भुगतान योग्य राशियाँ, निम्नलिखित तालिका में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित हैं। कृपया ध्यान दें, भुगतान की तिथि तक उक्त राशि पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क भी लागू होंगे।

1) आवेदक/सह-आवेदकों/गारंटर और बंधककर्ता का नामः
(ए) शुभम, पुत्र, मनोज (उधारकर्ता) (बी) नेहा पत्नी शुभम, मनोज कुमार, मंजू बाई (सह-उधारकर्ता), पताः सी/ओ मनोज 104, ग्राम पोस्ट पिपलानी, तह। नया हरसूद, पूर्वी निमार, मध्य प्रदेश-450116

2) ऋण विवरण (वितरण/निष्पादित परिसंपत्ति एवं सूचना तिथि/बकाया राशि):
(ए) खाता संख्या 15030941573, राशि 1996183/- रुपये (उन्नीस लाख छियानवे हजार एक सौ तिरासी रुपये मात्र) (बी) 2 सितंबर, 2025 को निष्पादित परिसंपत्ति (सी) मांग सूचना दिनांक 9 दिसंबर, 2025। 9/12/2025 तक बकाया राशि 2254138.72/- रुपये (बाईस लाख चौवन हजार एक सौ अड़तीस और बहत्तर पैसे मात्र) है, साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी शामिल हैं।

3) अचल संपत्तियों का विवरणः निर्मित मकान और दुकान, जो मांग पर निर्मित हैं, पंजी संख्या 01, ग्राम पंचायत पिपलानी के जावक संख्या 01 के अनुसार, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.40 वर्ग मीटर), मौजा गांव पिपलानी, पीएच संख्या 18, तहसील हरसूद, जिला खंडवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इस संपत्ति के स्वामी श्री शुभम पुत्र श्री मनोज और श्रीमती नेहा बाई (श्री शुभम की पत्नी) हैं।
भूमध्य तल पर निर्मित आरसीसी दुकान का क्षेत्रफल 660 वर्ग फुट (61.33 वर्ग मीटर), भूमध्य तल पर निर्मित टिन शेड का क्षेत्रफल 840 वर्ग मीटर है। (78.06 वर्ग मीटर) सीमाएँ (दस्तावेज के अनुसार):- उत्तर में:- खुला प्लॉट और टिन शेड, दक्षिण में:- विक्रेता का घर, पूर्व में:- झिकड़ नाहल, पश्चिम में:- मुख्य सड़क
सीमाएँ (वास्तविक के अनुसार):- उत्तर में:- सड़क, दक्षिण में:- झिकड़ नाहल की भूमि, पूर्व में:- मनोज सीताराम की भूमि, पश्चिम में:- प्रेमनारायण दरबार की भूमि
निर्मित मकान, जो खसरा संख्या 269/2 (पुराने खसरा संख्या 269 का भाग) की विनियोजित भूमि पर निर्मित है, कुल क्षेत्रफल 2178 वर्ग फुट (202.41 वर्ग मीटर)। यह मकान मौजा, गाँव पिपलानी, पीएच संख्या 18, तहसील हरसूद, जिला खंडवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इस संपत्ति की मालिक मंजू बाई थीं। निर्मित मकान का भूतल क्षेत्रफल 1030 वर्ग फुट है। (95.72 वर्ग मीटर) सीमाएँ (दस्तावेज के अनुसार):- उत्तर में:- इस क्षेत्र के दाता की शेष भूमि दक्षिण में:- इस क्षेत्र के दाता की शेष भूमि पूर्व में:- सुमेर पुत्र किशन कुशवाह की भूमि पश्चिम में:- आम रास्ता

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल राशि का भुगतान, अनुबंध दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों और आकस्मिक खर्चों सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी को SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत उपर्युक्त बंधक संपत्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा ताकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके। इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सुरक्षित संपत्ति को बिक्री/पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांकः 11 दिसंबर 2025
स्थानः खंडवा
एसडी/- अधिकृत अधिकारी
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड